न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14/2021 दायर दिनांकः 22/09/2021

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा
2. मेघराज पुत्र जमनालाल जाति मीणा
3. भरत कुमार पुत्र भैरूलाल जाति माली
4. बलराम पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासीगण छजावा थाना/तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र श्योपाल जाति मीणा निवासी छजावा थाना/तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. लीला बाई पत्नी बजरंग लाल जाति मीणा निवासी छजावा
3. पारा पत्नी श्योपाल मीणा निवासी छजावा

अप्रार्थीगण

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश

दिनाकः 08 /12/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में प्रार्थीगण के खाते एवं स्वामित्व की भूमि के लगवां ही खाता संख्या 216 की ख0नं0 1008 का रकबा 0.91 है0 एवं ख0नं0 1009 रकबा 2.39 है0 भूमि बजरंगलाल अप्रार्थी के कब्जे काश्त की है। जिसको अप्रार्थी ने प्रेमबिहारी वगै0 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। हमारे व अप्रार्थी के खेत की मेड एक ही है

जो लगभग 12 फुट है। जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने हल–कूली, ट्रेक्टर–ट्रोली आदि व अन्य कृषि उपकरण वर्षों से लाते ले जाते रहे है। उक्त ख0नं0 1008 एवं 1009 की मेड के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। दिनांक 24.07.2021 को अप्रार्थी ने जबरन दादागिरी की दम पर प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के रास्ते की मेड पर तारबन्दी कर उसे अवरूद्ध कर दिया। जिससे प्रार्थीगण अपने खेत पर अपने कृषि उपकरण ट्रेक्टर–ट्रोली आदि नहीं ले जा पा रहे है। इस बाबत् प्रार्थीगण ने उससे तकाजा किया तो गाली गलोच कर लडाई झगडा पर आमादा हुआ। जिस बाााबत प्रार्थीगण ने रास्ता खुलासा करवाने बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को भी दिनांक 26.07.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू ने माननीय न्यायालय में कार्यवाही पेश करने की हिदायत दी। इस वजह से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 24.07.2021 को अप्रार्थी द्वारा जबरन प्रार्थीगण के खेत की मेड के रास्ते पर तारबन्दी कर उसे अवरूद्ध करने के कारण एवं श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को रास्ता खुलासा करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत देने पर प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के रास्ते जो ख0नं0 1008 की 0.91 है0 एवं 1009 की रकबा 2.39 है0 के मध्य मेड पर होकर स्थित है उस पर होकर नया रास्ता दिलवाया जावे। माननीय न्यायालय जो भी सरकारी रेट के हिसाब से रकम निर्धारित करेगा। उसे प्रार्थीगण वहन करने को तत्पर एवं तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मैं बजरंगलाल मीना पुत्र श्योपाल मीना निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारां। मेरा निवेदन इस प्रकार है कि मेरे खेत में ख0नं0 1008 एवं 1009 में वाद नं0 14/21 के अनुसार जो रास्ता भूमि परिवादियों को दी जानी है उसकी नियमानुसार राशि भुगतान होने पर मुझे उक्त रास्ते के लिए भूमि देने के लिए कोई

आपत्ति नहीं है। वर्तमान में उक्त रास्ते को परिवादियों के उपयोग के आपकी आज्ञानुसार खोल रहा हूँ। इसका फैसला अतिशीघ्र किया आए।

मौके की रिपोर्ट ली गई । मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि मि0नं0 14/2021 कन्हैयालाल बनाम बजरंग वगै0 ने ग्राम छजावा पटवार मण्ड़ल ढोटी मे पहुच वादी कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा मेघराज पुत्र जमनालाल, बलराम पुत्र छीतरलाल, भरतकुमार पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी छजावा से दूरभाष पर धारा 251 के संदर्भ में पूछा गया तो वादियो ने बताया कि आराजी परिवार के शामलाती खातेदारी की भूमि ख0नं0 1010, 1012, 1013 व 1014 पर ख0नं01009 व 1008 से मेड पर होकर गुजरते है। उक्त रास्ते से वर्तमान मे बजरंगलाल पुत्र श्योपाल मीणा ने निकलने से मना कर दिया। ख0नं0 1012 ,1010, 1013, 1014 के खातेदारों को जाने के लिए खसरा नं0 1008 व 1009 की मेड पर होकर गुजरना पडता है। ख0नं0 1008 रकबा 0.91 है0 भंवरलाल पुत्र छीतरलाल हि0 1/6, रतनबाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/6 जाति महाजन सा. देह चरडाना, लीलालबाई पत्नी बजरंगलाल हि0 1/3 सा0 देह, प्रेमबिहारी पुत्र धन्नालाल हि0 1/3 जाति महाजन सा. देह चरडाना के नाम दर्ज है। ख0नं0 1009 रकबा 2.39 है0 खातेदार पाराबाई पत्नी श्योपाल जाति सा0देह के नाम खाते दर्ज है। एन0एच0 सडक से अपने खातेदारी के खेत तक जाने के 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाता है तो ख0नं0 1008 मे से 98 मीटर लम्बा रास्ता दिया जायेगा व ख0नं0 1009 में से 18 मीटर रास्ता दिया जायेगा इस प्रकार ख0नं0 1008 में से **4 X98= 392** वर्ग मीटर यानी 0.04 है0 व ख0नं0 1009 में से **5X18= 90** वर्ग मीटर यानी 0.01 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। मौका रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के रास्ते जो ख0नं0 1008 की 0.91 है0 एवं 1009 की रकबा 2.39 है0 के मध्य मेड पर होकर स्थित है उस पर होकर नया रास्ता दिलवाया जावे। प्रार्थी 12 फीट चौडे रास्ते की एवज में मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने के लिए तैयार हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम छजाव की ख0न0 1014 पर आने जाने हेतु ख0न0 1008 रकबा 0.91 है0 के उत्तरी छोर से एवं

ख0नं0 1009 रकबा 2.39 है0 से होकर आता जाता है। न्यायहित में प्रार्थी को अपने स्वामित्व की आराजी ख0नं0 1014 है0 पर आने –जाने का रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी ग्राम छजावा के ख0नं0 1014 पर आने –जाने हेतु ग्राम छजावा की ख0नं0 1008 रकबा 0.91 है0 भंवरलाल पुत्र छीतरलाल हि0 1/6, रतनबाई पुत्री छीतरलाल हि0 1/6 जाति महाजन सा. देह चरडाना, लीलाबाई पत्नी बजरंगलाल हि0 1/3 सा0 देह, प्रेमबिहारी पुत्र धन्नालाल हि0 1/3 जाति महाजन सा. देह चरडाना के नाम दर्ज है।

ख0नं0 1008 में से **4 X98= 392** वर्ग मीटर यानी 0.04 है0 व ख0नं0 1009 रकबा 2.39 है0 खातेदार पाराबाई पत्नी श्योपाल जाति सा0देह के नाम खाते दर्ज है। ख0नं0 1009 में से **5X18= 90** वर्ग मीटर यानी 0.01 है0 यानी किता 2 कुल रकबा 0.05 है0 भूमि नियमानुसार **DLC** दर की दुगनी राशि जमा करवाने पर राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते हैं। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 08/11 /2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां